भारत सरकार

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2722

जिसका उत्तर 10 जुलाई, 2019 को दिया जाना है।

19 आषाढ़, 1941 (शक)

डिजिटल भुगतानों को प्रोत्साहन देना

2722. श्रीमती रक्षा निखिल खडसे :

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार एटीएम कार्ड्स की विशेषताओं को बढ़ाकर डिजिटल भुगतानों को प्रोत्साहित करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार देश में रुपए के प्रेषण को आसान करने तथा भारतीय यात्रियों को विदेशों में भुगतान करने में सहायता प्रदान करने हेतु रूपे कार्ड तथा भीम यूपीआई का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद)

(क) : सरकार ने मेट्रो और बस सेवाओं में डिजिटल भुगतान को समर्थ बनाने के लिए नेशनल सामान्य मोबिलिटी कार्ड (एनसीएमसी) की कार्यक्षमता के साथ डेबिट कार्ड लॉन्च किए हैं। इसके अलावा, डिजिटल भुगतानों के प्रोत्साहन हेतु डेबिट/क्रेडिट कार्डों के सुरक्षा फीचर बढ़ाने के लिए कदम उठाए गए हैं। कार्ड लेनदेन की सुरक्षा के लिए उठाए गए कदमों के विवरण **अनुबंध-क** में दिए गए हैं।

(ख) और **(ग) :** रूपे कार्ड और भीम यूपीआई का अंतरराष्ट्रीयकरण करने के लिए किए जा रहे प्रयासों का विवरण निम्नानुसार है :

- आरबीआई ने भारत में एटीएम और पीओएस टर्मिनलों पर डिस्कवर एंड डाइनर्स क्लब कार्डों की स्वीकृति और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर डिस्कवर फाइनैन्शियल सर्विसेज (डीएफएस) नेटवर्क के टर्मिनल पर स्वीकृत किए जाने के लिए रूपे ग्लोबल ईएमबी चिप और पिन कार्ड जारी करना समर्थ बनाया है।
- आरबीआई ने भारत में एटीएम और पीओएस टर्मिनलों पर जापान क्रेडिट ब्यूरो (जेसीबी) कार्डों की स्वीकृति और एटीएम और पीओएस लेनदेन के लिए जेसीबी ग्लोबल नेटवर्क के जरिए स्वीकृति हेतु रूपे ग्लोबल कार्ड जारी करना समर्थ बनाया है।
- एनपीसीआई भूटान में रूपे और सिंगापुर में भीम यूपीआई स्वीकृति के लिए प्रायोगिक अध्ययन कर रहा है।

******

अनुबंध-क

कार्ड लेनदेन की सुरक्षा के लिए उठाए गए कदम

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने कार्ड लेनदेन से संबंधित सुरक्षा और जोखिम शमन उपायों के सम्बंध मे विभिन्न अनुदेश जारी किये हैं जो निम्नानुसार हैं:

(क): बैंको को सभी कार्ड लेनदेन के लिए ऑनलाइन अलर्ट देने की सलाह दी गई है [कार्ड प्रेजेंट (सीपी) और कार्ड नॉट प्रेजेन्ट है (सीएनपी)] (दिनांक 29.03.2011 का परिपत्र डीपीएसएस.सीओ.पीडी 2224/02.14.003/2010-11) ।

(ख): आरबीआई ने क्रमश: दिनांक 22 सितम्बर 2011, 28 फ़रवरी, 2013 और 24 जून 2013 को इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन (ऑनलाइन और ई-बैंकिग) को सुरक्षित करने के लिए बैकों को निम्नलिखित अतिरिक्त सुरक्षा उपाय लागू करने के लिए परिपत्र जारी किए हैं:

- जब तक कि अंतराष्ट्रीय उपयोग हेतु विशेष रूप से उपभोक्ता द्वारा मांग नहीं की जाती है, तब तक सभी नए डेबिट और क्रेडिट कार्ड केवल घरेलू उपयोग के लिए जारी किए जाएगें। अंतर्राष्ट्रीय उपयोग सक्षम करने वाले ऐसे कार्ड अनिवार्य रूप से ईएमवी चिप और पीआईएन सक्षम होने चाहिए।
- बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि व्यापारियों के पास कार्ड से होने वाले भुगतानों (प्रयुक्त डबल स्वाइप टर्मिनल सहित) को कैप्चर करने के लिए इंस्टॉल किए गए टर्मिनल पीसीआई-डीएसएस (भुगतान कार्ड उद्योग-डाटा सुरक्षा मानक) और पीए-डीएसएस (भुगतान एप्लीकेशन-डाटा सुरक्षा मानक) के लिए प्रमाणिकृत होना चाहिए।
- बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अधिगृहीत की जाने वाली सभी अवसंरचना जो वर्तमान में आईपी (इंटरनेट प्रोटोकॉल) आधारित समाधानों पर प्रचालनरत है, के लिए अनिवार्य बनाया जाए कि उसका पीसीआई-डीएसएस और पीए-डीएसएस अधिप्रमाणन किया गया है।

(ग): सभी बैंकों को उनके द्वारा जारी किए गए मौजूदा सभी मैगस्ट्रीप कार्डों को ईवीएम चिप और पिन कार्डों में परिवर्तित करने की सलाह दी गयी है (दिनांक 27.अगस्तर, 2015 का परिपत्र डीपीएसएस. सीओ. पीडी. संख्या 448/02.14.003/2015-16)।

(घ): आरबीआई ने दिनांक 01 मई 2012 से सभी सीएनपी लेनदेन हेतु अधिप्रमाणन के अतिरिक्त घटक (एएफए) को अनिवार्य रूप से लागू करने के लिए बैंकों को निदेश दिया है, ऐसा न किए जाने पर बाद में जारीकर्ता बैंक हानि से हुए हर्जाने की प्रतिपूर्ति किसी भी आपत्ति के बगैर करेगा (दिनांक 4 अगस्त, 2011 का परिपत्र डीपीएसएस.पीडी.सीओ. सं. 223/02.14.003/2011-2012)।

(ड.): कुछ शर्तों के अधीन सभी प्राधिकृत कार्ड भुगतान नेटवर्क को किसी टोकन अनुरोधकर्ता (उदाहरण के लिए तृतीय पक्षकार एप प्रदाता) हेतु कार्ड टोकनाइजेशन सेवाएं देने के लिए अनुमति दी गई है। प्रमाणीकरण के अतिरिक्त घटक (एएफए)/पीआईएन प्रविष्ट हेतु अधिदेश सहित कार्ड लेनदेन की संरक्षा और सुरक्षा पर आरबीआई के सभी मौजूदा अनुदेश टोकेनाइज्ड कार्ड लेनदेन के लिए भी लागू होंगे (दिनांक 8 जनवरी, 2019 का परिपत्र डीपीएसएस.सीओ.पीडी. संख्या 1463/02.14.003/2018-19)।

'एटीएम – कार्ड प्रजेंट (सीपी) ट्रांजैक्शन के लिए सुरक्षा और जोखिम शमन उपाय' पर परिपत्र डीपीएसएस.सीओ.पीडी.संख्या/2895/02.10.002/2015-2016 दिनांक 26 मई 2016 के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों और व्हाइट लेवल एटीएम प्रचालकों (डब्ल्यूएलएओएस) को सुझाव दिया है ताकि वे यह सुनिश्चित करें कि उनके द्वारा अधिष्ठापित/प्रचालित सभी मौजूदा एटीएम को ईएमवी चिप और पिन कार्डों के प्रोसेसिंग के लिए सक्षम बनाया गया है। साथ ही, सभी नए एटीएम को शुरूआत से ही ईएमवी चिप और पिन प्रोसेसिंग के लिए आवश्यक रूप से सक्षम बनाया जाएगा। इसके अलावा, कार्ड भुगतान पारिस्थितिक तंत्र में एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए बैंक अपने माइक्रो एटीएम पर प्रुयक्त आवश्यकताओं का कार्यान्वयन भी करेगा जिसे कार्ड आधारित भुगतानों के निपटान के लिए सक्षम बनाया गया है।

*****